प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 1096/2022

शाखा प्रबंधक, चोल मंडलम एम. एस. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा राजनंदगांव, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़।(बीमाकर्ता)

---अपीलकर्ता

बनाम

1. श्रीमती मैना बाई, पति स्वर्गीय श्री रामाधीन, आयु 42 वर्ष
2. मुकेश कुमार, पिता स्वर्गीय श्री रामाधीन, आयु 23 वर्ष
3. नारायण, पिता स्वर्गीय श्री रामाधीन, आयु 19 वर्ष
4. कु. लता, पिता स्वर्गीय श्री रामाधीन, आयु 21 वर्ष

समस्त निवासी गाँव नवगाँव, पी. एस. मानपुर, जिला राजनंदगाँव, छत्तीसगढ़।

---(दावाकर्ता)

5.अक्टूराम केसरिया, पिता स्वर्गीय बलिराम केसरिया, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम कुम्हारटोला, थाना मानपुर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।चालक (वाहन सं.**CG08 V8**287)

6. गोविंद राम मांडवी, पिता चरण सिंह मांडवी, आयु 41 वर्ष, जाति गोंड, निवासी ग्राम नवगाँव, निवासी ग्राम नवगाँव, मानपुर, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। मालिक (वाहन सं.**CG08 V8287)**

---उत्तरवादीगण

अपीलकर्तागण हेतु :श्री घनश्याम पटेल, अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 5 और 6 हेतु :श्री राजेन्द्र पटेल, अधिवक्ता तथा श्री एस. एस. बघेल, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ:--- माननीय श्री संजय के. अग्रवाल ,न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

12/08/2025

1. अपीलकर्ता बीमा कंपनी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत यह अपील प्रस्तुत की है, जिसमें प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, राजनांदगांव द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 183/2016 में पारित दिनांक 18-1-2022 के आक्षेपित निर्णय की वैधता, विधिमान्यता और सत्यता पर प्रश्न उठाया गया है, जिसके द्वारा बीमा कंपनी पर कुल ₹ 11,04,634/- का मुआवजा देने का दायित्व निर्धारित किया गया है।

2. अपीलार्थी बीमा कंपनी का मामला यह है कि मृतक माल वाहन में यात्रा कर रहा था, जिसका माल के लिए बीमा किया गया था और मृतक एक निशुल्क यात्री था, इसलिए बीमा कंपनी जिम्मेदार नहीं है, जिसे दावा न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया है और बीमा कंपनी पर दायित्व तय किया है जिसके खिलाफ वर्तमान अपील पेश की गई है।

3. यहाँ अपीलकर्ता/बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री घनश्याम पटेल ने प्रस्तुत किया कि दावा न्यायाधिकरण द्वारा बीमा कंपनी पर दायित्व आरोपित करना पूर्णतः अनुचित है, क्योंकि मृतक स्वयं मालवाहक वाहन में यात्रा कर रहा था और बीमा पॉलिसी एक्स डी-1 के अनुसार, केवल चालक ही बीमाकृत था और तृतीय पक्ष भी बीमाकृत था, तथापि, मृतक बीमाकृत नहीं था, जिसे चोला मंडलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सहायक विधि अधिकारी मितेश कुमार (NAW-1) द्वारा भी सिद्ध किया गया है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल चालक और उनके माल का ही बीमा किया गया था और चालक तथा तृतीय पक्ष के अलावा किसी का बीमा नहीं किया गया था।उन्होंने आगे तर्क दिया कि मृतक उक्त माल वाहन में निशुल्क यात्री के रूप में बैठा व्यक्ति था, अतः बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है। अतः, आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है और अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दूसरी ओर, उत्तरवादी संख्या 5 और 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेंद्र पटेल ने अपील का विरोध किया और आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया गया।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके द्वारा ऊपर दिए गए प्रतिद्वन्द्वी निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेख का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

6. यह स्वीकार किया जाता है कि, मृतक माल वाहन में यात्रा कर रहा था और बीमा पॉलिसी एक्स.डी-1 के अनुसार, तृतीय पक्ष + मालिक / चालक दोनों को शामिल किया गया था और बीमा पॉलिसी में कोई क्लीनर या अन्य व्यक्ति शामिल नहीं था, जिसकी पुष्टि अपीलकर्ता बीमा कंपनी के सहायक विधि अधिकारी मितेश कुमार (NAW-1) ने की है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बीमा पॉलिसी केवल चालक और तृतीय पक्ष को कवर करती है, जिसके लिए बीमा लिया गया था और कोई अन्य व्यक्ति शामिल नहीं था।इस दृष्टिकोण से, बीमा कंपनी मृतक की मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है।

7. अब, प्रश्न यह है कि क्या भुगतान और वसूली का सिद्धांत लागू होगा?

8. इस संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **अनु भानवारा तथा अन्य बनाम इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा अन्य 1 होना आवश्यक है** इसमें लाभप्रद रूप से ध्यान दिया गया है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने विधिवत बीमित माल वाहन में अनावश्यक यात्रियों के मामले में इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या मुआवजे का भुगतान वाहन के मालिक तथा चालक द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है, या बीमाकर्ता द्वारा, जिसे बाद में बीमाकर्ता द्वारा मालिक तथा चालक से वसूल किया जा सकता है, तथा यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः---

"9. अगला प्रश्न यह है कि उत्तरवादी ओं में से कौन सा, यानी वाहन का मालिक तथा चालक या बीमाकर्ता, इस तरह के मुआवजे के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।मुआवजे के भुगतान हेतु दायित्व के संबंध में, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चूंकि वाहन का उत्तरवादी 1 बीमा कंपनी के साथ बीमा किया गया था, इसलिए माल वाहन में एक अनावश्यक यात्री के मामले में भी भुगतान तथा वसूली का सिद्धांत लागू किया जाएगा।इस प्रकार बीमा कंपनी को अपीलार्थियों को मुआवजे के भुगतान हेतु उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए तथा बदले में उन्हें वाहन के मालिक तथा चालक से इसे प्राप्त करने/वसूल करने का अधिकार होगा।अपने निवेदन के समर्थन में, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है, अर्थात्, मनुआरा खातून बनाम राजेश कुमार सिंह 2, पुट्टप्पा बनाम रामा नाइक 3; राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम।साजू पी. पॉल 4; न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम.विमल देवी 5; राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम।चल्ला उपेंद्र राव 6; न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम.सी. एम. जया 7 तथा अमृत लाल सूद बनाम कौशल्या देवी थापर 8.

10. इसके विपरीत, उत्तरवादी बीमा कंपनी के विद्वान वकील ने प्रतिवाद किया है कि चूंकि दावेदार माल वाहन में अनावश्यक यात्री थे, ऐसे मामले में ऐसे माल वाहन के यात्रियों की मृत्यु या शारीरिक चोट के लिए मुआवजे के भुगतान की देयता कवर नहीं होगी, इसलिए भुगतान और वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होगा।इस प्रकार यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय का आदेश कानूनन पूरी तरह से न्यायोचित है और इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख दिया है, अर्थात्, **न्यू इंडियाएश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामआशा रानी 9; नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामबलजीत कौर 10; नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामकौशल्या देवी 11; नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामरत्तानी 12; नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रेमा देवी 13; भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामआंदी 14 और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामलाल सिंह 15।**

11. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उद्धृत विभिन्न निर्णयों का अवलोकन किया है।वाहन का बीमा, यद्यपि मालवाहक वाहन है, पक्षकारों द्वारा विवादित नहीं है।वर्तमान मामले में दावेदार छोटे बच्चे हैं जो दुर्घटना में लगी चोटों के कारण स्थायी रूप से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विकलांग हो गए हैं।इस प्रकार, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा सुविचारित मत है कि वर्तमान मामले में "भुगतान करो और वसूल करो" के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए।"

9. वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, अनु भंवरा (सुप्रा) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि मालवाहक वाहन में अनावश्यक यात्रियों के मामले में भी "भुगतान करो और वसूल करो" के सिद्धांत को लागू किया जाना आवश्यक है।

10. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता बीमा कंपनी दावेदारों को निर्धारित मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है, तथापि, उसे कानून के अनुसार, क्रमशः प्रतिवादी संख्या 5 और 6, चालक और मालिक से उक्त मुआवजे की राशि वसूलने का अधिकार होगा।अंत में, अपीलकर्ता बीमा कंपनी को निर्देश दिया जाता है कि वह पहले दावेदारों को निर्धारित मुआवजा दे/वितरित करे तथा चालक और मालिक से 50-50% राशि वसूल करे।
11. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक*

प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur